

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

प्रार्थना-पत्र संख्या 26/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
प्राधिकृत अधिकारी आदर्श को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सिरोही।		1. श्री हर्ष कुमार पुत्र श्री जोरा राम देवासी निवासी 97, हनुमानजी मन्दिर मीरपुर पोस्ट सिंदरथ जिला सिरोही। 2. श्री फगाराम पुत्र श्री धनाराम निवासी सारणेश्वरजी रोड सिरोही व गांव रामपुरा सिरोही। 3. श्री थानाराम रेबारी पुत्र श्री जोराराम रेबारी निवासी रेबारी वास मीरपुर पोस्ट सिंधरथ जिला सिरोही।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्कुराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल

एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्कुरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002

उपस्थिति :-

1. अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह डाबी, प्रार्थी बैंक ।

निर्णय

दिनांक : 14.06.2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्कुराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्कुरिटी एक्ट 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया । प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया ।



प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पक्ष के द्वारा अप्रार्थी

1. श्री हर्ष कुमार पुत्र श्री जोरा राम देवासी निवासी 97, हनुमानजी मन्दिर मीरपुर पोस्ट सिंदरथ जिला सिरोही।
2. श्री फगाराम पुत्र श्री धनाराम निवासी सारणेश्वरजी रोड सिरोही व गांव रामपुरा सिरोही।
3. श्री थानाराम रेबारी पुत्र श्री जोराराम रेबारी निवासी रेबारी वास मीरपुर पोस्ट सिंधरथ जिला सिरोही।

को राशि रूपये 02,50,000/- की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी ने अपनी जायदाद बैंक के पास बतौर अमानत बंधक रखी थी।

ने अपनी जायदाद All the piece and parcel of Immovable Residential Plot at Gram Panchayat Sindrath, District - Sirohi (Rajasthan), admeasuring area about 1200 Sq. Feet, Patta Issued Gram Panchayat Sindrath on 10.09.2018, Patta No. 33,

जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Book No. 551, Mishal No. 12 Dayar Date- 05.06.2018, Sankalp No. 01/05.06.2018  
And This Property Registered before Sub Registrar Office Sirohi on 17.02.2021, Book  
no. 01, Jild No. 110, Page No. 86, Sr. No. 202103085100393 & additional Book No. 1,  
Jild No. 439 Page No. 273 to 279, Mortgaged by Mr. Harsh Kumar S/o Mr. Jora Ram  
Dewasi. को बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन कर दिया।

अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी के बैंक/कम्पनी को ऋण का  
भुगतान करने में असेफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा  
करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम रजिस्टर्ड  
डाक के माध्यम से नोटिस दिनांक 19.01.2023 को जारी किये गये, जो पंजीकृत  
डाक के माध्यम से तामिल करवाये गये उसके पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि  
मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीयो के द्वारा बतौर जमानत  
रहन रखी गई सम्पत्ति इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को संभलाने हेतु यह  
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थी के लायक अधिकारी/अधिवक्ता की बहस सुनी। विद्वान  
अधिवक्ता/अधिकारी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं की पुष्टि करते हुए कहा कि  
प्रार्थी बैंक/कम्पनी एक नियमित निकाय है जो अपनी शाखाओं के माध्यम से ऋण  
देने का व्यवसाय करती है उसकी शाखाओं में से एक सिरौही में भी स्थित व  
कार्यरत है। प्रार्थी बैंक/संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को रुपये 02,50,000/- का  
ऋण स्वीकृत किया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक/कम्पनी के पक्ष  
में बन्धक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है। बहस में कहा  
कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी पक्ष को नियमित रूप से ऋण राशि व ब्याज राशि का  
भुगतान नहीं करने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये  
गये किन्तु अप्रार्थी द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया। भुगतान  
नहीं करने के फलस्वरूप अप्रार्थी स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर  
जमानत प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन रखी गई उक्त जायदाद इत्यादि का  
कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाया जावे।

प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी। अप्रार्थी द्वारा राशि रुपये 02,50,000/- का  
ऋण लिया था। ऋण राशि के बदले में अप्रार्थी द्वारा अपनी जायदाद को  
बैंक/कम्पनी के पक्ष में उक्त जायदाद रहन रखी है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार  
धारा 13(2) के अधीन अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस भी दिनांक 19.01.2023 को  
जारी किये है जिनकी प्राप्ति के पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं  
किया है।

12/10  
जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही

दी सिक्युराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 निम्न प्रकार है :-

14 . Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset – (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold or transferred by the secured creditor under the provisions of this Act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession or control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within whose jurisdiction any such secured asset or other document, relating thereto may be situated or found to take possession thereof and the

Chief Metropolitan Magistrate or as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him –

(a) take possession of such asset and documents relating thereto and

(b) forward such assets and documents to the secured creditor

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1) , the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use, or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

परिणामस्वरूप तथ्यों के संदर्भ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी श्री रमेश कुमार पुत्र स्व. श्री शंकर लाल ने अपनी जायदाद All the piece

and parcel of Immovable Residential Plot Situated at Gram Panchayat Sindrath, District - Sirohi (Rajasthan), admeasuring area about 1200 Sq. Feet, Patta Issued Gram Panchayat Sindrath on 10.09.2018, Patta No. 33, Book No.

551, Mishal No. 12 Dayar Date- 05.06.2018, Sankalp No. 01/05.06.2018 And

This Property Registered before Sub Registrar Office Sirohi on 17.02.2021,

Book no. 01, Jild No. 110, Page No. 86, Sr. No. 202103085100393 & additional

Book No. 1, Jild No. 439 Page No. 273 to 279, Mortgaged by Mr. Harsh Kumar

S/o Mr. Jora Ram Dewasi. Four Corner Direction of the said immovable

properties are given hereunder;

East - Gali & House of Shri Laxman Ji


West - House of Smt. Sajna Devi

North - Self Owned Land & Road

South - House of Shri Ruparam Ji

उपरोक्त जायदाद पर अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नहीं होने की स्थिति

में उक्त जायदाद का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस थाना से  
जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही



प्रार्थी बैंक/कम्पनी को संभलाये जाने का आदेश दिया जाता है । यदि उक्त सम्पति किसी भी तरीके से बंद पायी जाती है, तो ताला तोडकर उक्त सम्पति पर प्रार्थी बैंक अपना कब्जा स्थापित करें। आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ पुलिस अधीक्षक सिरौही, संबंधित थानाधिकारी पुलिस थाना एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। आदेश आज दिनांक 14.06.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।



*P.ello*  
(डॉ. भँवर लाल)  
जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही